



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233664
CG-DL-E-22022022-233664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943

No. 56]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

दिनांक 24.09.2021 की अधिसूचना संख्या 12015/03/2020-आईटी में संशोधन

विषय : वस्त्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना- नई कंपनियों का निर्माण और किए गए निवेश के संबंध में।

फा. सं. 12015/03/2020-आईटी-1.—दिनांक 24 सितंबर 2021 की उक्त अधिसूचना संख्या 12015/03/2020-आईटी में उल्लेख किया गया है कि आवेदक इस योजना के तहत निवेश करने से पहले कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अलग कंपनी का निर्माण करेगा। दिनांक 24 सितंबर 2021 के बाद प्रत्याशा में किए गए निवेश को निवेश मानदंडों को पूरा करने के लिए विचार किया जा सकता है।

नई कंपनी बनाने की आवश्यकता और दिनांक 24 सितंबर 2021 से पहले किए गए निवेश के संबंध में उद्योग से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार किया गया। मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि "यद्यपि एक कंपनी जो कि अधिसूचना की तारीख अर्थात् 24 सितंबर 2021 से पहले पंजीकृत हुई है लेकिन उत्पादन शुरू नहीं किया है, उसे इस योजना के तहत लाभ के उद्देश्य से एक नई कंपनी माना जाएगा। तथापि, अधिसूचना की तारीख अर्थात् 24 सितंबर 2021 से पहले किए गए निवेश को पात्र निवेश नहीं माना जाएगा।"

शुभ्रा, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2022

Amendment to Notification No.12015/03/2020-IT Dated 24.09.2021

Subject : Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles- Forming of new companies & investment made- reg.

F. No. 12015/03/2020-IT-1.—The said Notification No. 12015/03/2020-IT dated 24TH September 2021 mentions that the applicant will form a separate company under Companies Act, 2013, before commencement of investment under this scheme. Investment made in anticipation after 24th September 2021 may be taken into account to meet investment criteria.

In view of the various representations received from the industry regarding requirement to form a new company and investment made thereto prior to 24th September 2021, the matter was considered. Ministry has decided that “A company though registered prior to date of notification i.e. 24th September 2021, but has not started production will be treated as a new company for the purpose of benefits under this scheme. However, the investment made prior to date of notification i.e. 24th September 2021 will not be counted for eligible investment.”

SHUBHRA, Trade Advisor